

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक: -14.01.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों की समस्याओं के निस्तारण एवं त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई आयोजित की गयी।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए प्रत्येक फरियादी को निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण समाधान का आश्वासन दिया गया। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से किया जाए ताकि आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत हो।
- जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उपस्थित महिला फरियादियों से संवाद कर उनको जागरूक करते हुए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, अधिकारों एवं शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी गई तथा उन्हें निडर होकर अपनी बात रखने हेतु प्रेरित किया गया।
- पुलिस अधीक्षक महोबा ने कहा कि जनपद महोबा पुलिस आमजन की सुरक्षा, न्याय एवं सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित है।





## मिशन शक्ति 5.0 : नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन को लेकर महोबा पुलिस का सशक्त जागरूकता अभियान...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में “मिशन शक्ति अभियान फेज-5” के अन्तर्गत आज दिनांक- 14.01.2026 को जनपद महोबा में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण एवं विश्वास का वातावरण सुदृढ़ करने के उद्देश्य से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

“मिशन शक्ति 5.0” अभियान के अन्तर्गत जनपद के समस्त थानों द्वारा प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, धार्मिक स्थलों एवं अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों पर महिला पुलिस कर्मियों की सक्रिय सहभागिता से महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों, सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तथा सुरक्षा संबंधी संसाधनों की जानकारी प्रदान की गई।

अभियान के दौरान विभिन्न विभागों की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई आर्थिक सहायता योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम सम्मान निधि योजना, वन स्टॉप सेंटर, आयुष्मान योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आदि की जानकारी पंपलेट के माध्यम से दी गई।

महिलाओं को पुलिस विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे वीमेन पावर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, सीएम हेल्पलाइन-1076, स्वास्थ्य सेवा-102, एम्बुलेंस सेवा-108, महिला हेल्पलाइन-181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया।

महोबा पुलिस द्वारा चलाया गया यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा, आत्मनिर्भरता की सोच और सम्मान का भाव विकसित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।





**सर्पाफा दुकान में कथित चोरी की घटना फर्जी निकली,  
थाना खन्ना पुलिस द्वारा प्रकरण का सफल अनावरण-  
वादी द्वारा चोरी की झूठी सूचना देकर दर्ज कराया गया था चोरी का  
मुकदमा, थाना खन्ना पुलिस की सतर्कता से साजिश का हुआ पर्दाफाश...**

दिनांक 09.01.2026 को थाना खन्ना क्षेत्रअन्तर्गत वादी साहिल सोनी पुत्र स्व. नरेश चन्द्र सोनी, निवासी ग्राम कहरा, थाना खन्ना, जनपद महोबा द्वारा थाना उपस्थित होकर एक लिखित सूचना दी गई थी कि दिनांक 08/09.01.2026 की रात्रि में उनके घर में स्थित सोने-चाँदी की दुकान की अलमारी से अज्ञात चोरों द्वारा काफी मात्रा में सोने-चाँदी के आभूषण एवं 30,000/- रुपये नगद चोरी कर लिए गए हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना खन्ना में मु0अ0सं0 03/2026, धारा 305(ए) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

वादी द्वारा अपने बयान में यह भी बताया गया था कि अज्ञात चोर घर की दीवार पर चढ़कर दो-मंजिला छत के रास्ते घर में प्रवेश कर आए तथा उनकी दादी के हाथ-पैर बाँध दिए और अलमारी का ताला तोड़कर लगभग 40 ग्राम सोना, 3.5 किलोग्राम चाँदी के आभूषण एवं 30,000/- रुपये नगद चोरी कर लिए।

घटना के त्वरित एवं सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा गहन विवेचना की गई, साथ ही प्रकरण में जनपदीय स्वॉट/सर्विलांस का भी सहयोग लिया गया।

विवेचना के दौरान घटनास्थल के निरीक्षण, साक्ष्यों के परीक्षण एवं वादी से गहन पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि कथित चोरी की घटना वास्तव में घटित नहीं हुई थी। पूछताछ में वादी साहिल सोनी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि उसके पिता स्व0 नरेश चन्द्र सोनी द्वारा कई व्यक्तियों के जेवरात गिरवी रखे गए थे, जिन्हें वापस न करना पड़े, इसी उद्देश्य से वादी के द्वारा सुनियोजित तरीके से चोरी की झूठी सूचना देकर, चोरी का अभियोग पंजीकृत कराया था। प्रकरण की जांच व पूछताछ में वादी द्वारा अपनी गलती स्वीकार की गई।

थाना खन्ना पुलिस द्वारा प्रकरण का विधिवत खुलासा कर लिया गया है तथा प्रकरण में सम्बन्धित द्वारा झूठी एवं भ्रामक सूचना दिए जाने के सम्बन्ध में वादी के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित कर दी गयी है।

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की झूठी सूचना, भ्रामक घटना अथवा फर्जी अभियोग दर्ज कराने से बचें, अन्यथा दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

**अनावरण करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री अर्जुन सिंह
  2. उ0नि0 सुरेश कुमार सचान
  3. हे0कां0 प्रवीण कुमार यादव
  4. कां0 राहुल कुमार
- जनपदीय स्वॉट/सर्विलांस टीम जनपद महोबा।